IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक,

आफिस काम्पलेक्स केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर

E-Mail Address :- emo_1kanpur@rediffmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

पत्रांक /सं0प्र0/ .... / दिनांकः

सेवा में,

.... **अनन्तिम**

विषयः **परिषद की योजना में ....अपार्टमेन्ट में फ्लैट संख्या ----------------- का आवंटन पत्र प्रेषित करने के सम्बन्ध में।**

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण/चालान संख्या .... के अन्तर्गत दिनांक .... को हुए आवंटन/लाटरी ड्रा से आपको परिषद की .... योजना .... में स्थित फ्लैट संख्या .... नकद कय पद्धति पर आवंटित हुआ है, जिसका सुपर एरिया .... वर्ग फुट है एवं अनुमानित विकय मूल्य रू0 .... है, जिसमें से जमा पंजीकरण धनराशि रू0 .... का समायोजन के उपरान्त शेष धनराशि रू0 .... दिनांक .... तक .... बैंक, शाखा .... के खाता संख्या .... में (नीली पर्ची पर) एवं सेवाकर की धनराशि रू0 .... बैंक .... शाखा ....के खाता संख्या .... में जमा करना सुनिश्चित करें।

नियम व शर्तें

1 पंजीकरण आवंटन की वैधता बनाये रखने हेतु पूर्व निर्गत आवंटन पत्र/मांग पत्र के अनुसार देय धनराशि को नियत तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा।

2 यदि आवंटन पत्र/मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो परिषद नियमानुसार 13.5% अतिरिक्त ब्याज देय होगा।

3 यदि किसी व्यक्ति द्वारा आवंटन पत्र/मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वॉछित धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत तथा तीन माह के पश्चात 50 प्रतिशत धनराशि की कटौती करते हुए उनका पंजीकरण/आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा शेष धनराशि को बिना ब्याज वापस किया जायेगा तथा उक्त सम्पत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को परिषद नियमानुसार आवंटित कर दी जायेगी।

4 आंशिक/पूर्ण भुगतान के उपरान्त सम्पत्ति निरस्तीकरण की दशा में जी.एस.टी. का दायित्व आवंटी का होगा जिसकी वापसी परिषद द्वारा नहीं की जायेगी।

5 पंजीकरण पुस्तिका के आधार पर आवंटियों को ओपेन कार पार्किंग हेतु प्रति कार पार्किंग रू0 .... लाख अतिरिक्त देय होगा। यह धनराशि प्रत्येक दशा में विकय विलेख निष्पादन के पूर्व देना होगा। पार्किंग के आरक्षित स्थान पर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

6 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से 02 वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को कार्पस फण्ड में निर्धारित धनराशि रू0 .... लाख प्रति फ्लैट अतिरिक्त विकय विलेख निष्पादन के पूर्व देना होगा। पाकेट में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये भौतिक कब्जे की तिथि से 02 वर्ष के बाद मेंन्टीनेंस के कार्य हेतु आवंटियों की समिति को उक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि हस्तगत कर दी जायेगी, तत्पश्चात समिति द्वारा उक्त पाकेट की सामान्य सुविधाओं को बनाये रखने हेतु आने वाला व्यय आवंटियों की समिति को अपने श्रोतों से वहन करना होगा।

7 परिसर का रखरखाव अलग से प्रथम कब्जे की तिथि से 2 वर्ष तक प्रस्तावित है इसके उपरान्त परिसर का रख रखाव रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।

8 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृह कर, जल कर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

9 आवंटन पत्र/मांग पत्र के अनुसार देय धनराशि का भुगतान अधिकृत बैंक में ही नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा।

10 बैंक में धनराशि जमा करते समय रसीद पर आवेदक का नाम, पता, योजना का नाम, फ्लैट तल व पंजीकरण चालान संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाये तथा उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना आवंटी का उत्तरदायित्व होगा।

11 आवंटन पत्र/मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर फ्लैट के सम्पूर्ण देय मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर फ्लैट के विकय मूल्य पर 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

12 उ0प्र0 आवास एवं विकस परिषद द्वारा सूचित अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटी को रू0 ..../– प्रति दिन अथवा यथा निर्धारित की गयी दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

13 विलेख निष्पादन हेतु रू0 ..../– व साइट प्लान हेतु रू0 ..../– आन्ध्रा बैंक की शाखा केशवपुरम कल्यानपुर कानपुर में अलग–अलग लाल पर्ची पर जमा करना होगा।

14 फ्लैट का विकय विलेख/अनुबन्ध निष्पादन हेतु शासनादेश के अनुसार स्टाम्प पेपर देय होगा।

15 विकय विलेख/अनुबन्ध निष्पादन हेतु स्वयं के 05 नग फोटोग्राफ निर्धारित प्रारूप पर किसी राजपत्रति अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

16 किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा एवं ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे। शेष नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार प्रभावी होगी।

नोट :– अनुरक्षण व्यय (कार्पस फण्ड) की धनराशि में यदि भविष्य में कोई बढोत्तरी होती है तो उसे परिषद नियमानुसार अलग से देय होगा।

भवदीय

(सम्पत्ति प्रबन्धक)
कृते आवास आयुक्त